



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : SEPTEMBER 1, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. भारत की Q1 FY27 जीडीपी वृद्धि और क्षेत्रीय गतिशीलता (Sectoral Dynamics).....	2
2. भारत ने सिंधु जल संधि पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को खारिज किया	4
3. बिहार और झारखंड ने सोन नदी जल बंटवारे के लिए ऐतिहासिक समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए	6
4. इसरो GSLV F17 के माध्यम से प्रमुख पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 लॉन्च करेगा	7
5. टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स भारत में अमेरिकी जेवलिन मिसाइल प्रणाली का सह-उत्पादन करेगी	9
6. मनुस्मृति की पुनर्व्याख्या: औपनिवेशिक व्याख्याशास्त्र से परे जाना	10
7. वेनेजुएला के कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण के लिए अमेरिकी रणनीतिक प्रयास	12
8. केंद्र ने सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम के लिए ढांचे को अधिसूचित किया.....	14
9. अक्षय ऊर्जा विस्तार के बीच एनटीपीसी का लाभ राजस्व वृद्धि से आगे निकला	16
10. बाल्टिक मार्ग — बाल्टिक स्वतंत्रता पर गांधी की छाप.....	17
11. वी-डेम लोकतंत्र सूचकांक ने भारत को 1975 के बाद से सबसे निचले स्तर पर रखा	19
12. मनरेगा से VB-GRAM G अधिनियम में परिवर्तन की संवैधानिक वैधता और आर्थिक प्रभाव	21

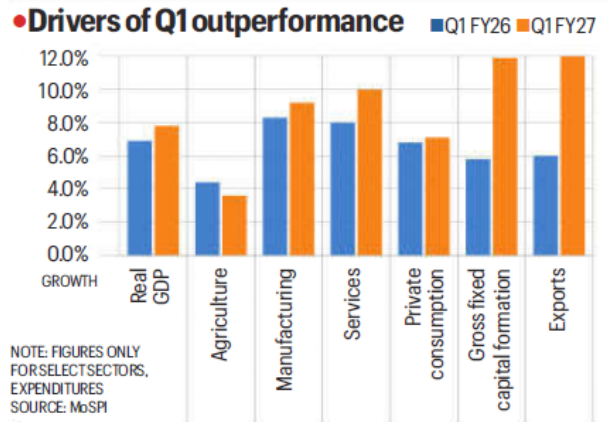


1. भारत की Q1 FY27 जीडीपी वृद्धि और क्षेत्रीय गतिशीलता (Sectoral Dynamics)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- मजबूत जीडीपी विस्तार (Robust GDP Expansion):** भारत ने अप्रैल-जून तिमाही (Q1 FY27) में 7.8% की मजबूत वर्ष-दर-वर्ष (YoY) जीडीपी वृद्धि दर्ज की, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के पिछले अनुमान को पार कर गई।
- दोहरे विकास इंजन (Dual Growth Engines):** क्षेत्रीय त्वरण मुख्य रूप से दोहरे विकास इंजनों द्वारा संचालित था—विनिर्माण क्षेत्र 9.2% (पिछले वर्ष के 8.3% से अधिक) बढ़ा और सेवा (तृतीयक) क्षेत्र 10% (पिछले वर्ष के 8% से अधिक) तक बढ़ गया।

- मैक्रोइकोनॉमिक लचीलापन (Macroeconomic Resilience):** अर्थव्यवस्था ने पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक संघर्ष, ऊर्जा कीमतों की अस्थिरता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों सहित बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों को अवशोषित करके संरचनात्मक लचीलापन प्रदर्शित किया।
- निवेश और मांग के रुझान (Investment & Demand Trends):** वृद्धि को मजबूत सकल स्थायी पूंजी निर्माण (fixed capital formation) और स्थिर निजी उपभोग द्वारा समर्थन मिला, जो निर्यात गतिविधियों में वृद्धि के साथ-साथ निरंतर घरेलू मांग का संकेत देता है।
- मौद्रिक नीति के निहितार्थ (Monetary Policy Implications):** उच्च उत्पादन के बावजूद, निरंतर उच्च मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की ऊंची वैश्विक कीमतों ने विश्लेषकों को संभावित मौद्रिक नीति को सख्त करने या ब्याज दरों में वृद्धि के संबंध में चेतावनियां जारी करने पर मजबूर किया है।
- कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन (Agriculture Sector Performance):** जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों ने दोहरे अंक या दोहरे अंक के करीब विस्तार दर्ज किया, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले चक्रों की तुलना में धीमी होकर 3.5% हो गई।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- सकल घरेलू उत्पाद (GDP):** किसी विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य।
- सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF):** शुद्ध पूंजी संचय को मापने वाला एक समग्र सूचकांक, जो बुनियादी ढांचे, मशीनरी और उपकरणों जैसे स्थायी संपत्ति परिवर्द्धन पर कुल व्यय को दर्शाता है।
- हेडलाइन मुद्रास्फीति (Headline Inflation):** अस्थिर खाद्य और ऊर्जा उत्पादों सहित वस्तुओं की एक पूरी टोकरी से प्राप्त कुल मुद्रास्फीति का आंकड़ा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अनुच्छेद 112 (वार्षिक वित्तीय विवरण):** राष्ट्रीय वित्तीय लेखांकन ढांचों को रेखांकित करते हुए, संसद के समक्ष वार्षिक बजट प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता को प्रस्तुत करता है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय अनुशासन, ऋण लक्ष्यों और घाटे के प्रबंधन के लिए संस्थागत दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।
- सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) को आधिकारिक व्यापक आर्थिक अनुमानों को प्रकाशित करने के लिए सशक्त बनाते हुए सरकारी एजेंसियों द्वारा वैधानिक डेटा संग्रह को सुगम बनाता है।

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (धारा 45ZB):** मूल्य स्थिरता के साथ विकास प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा प्रबंधित लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे को अनिवार्य करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत का Q1 प्रदर्शन घरेलू औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की क्षमता द्वारा संचालित मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों को दर्शाता है। हालांकि, इस गति को बनाए रखने के लिए बाहरी ऊर्जा जोखिमों का प्रबंधन करने, आपूर्ति-पक्ष की स्थिरता बनाए रखने और कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में संतुलित वृद्धि सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था):** राष्ट्रीय आय लेखांकन, क्षेत्रीय योगदान, पूंजी निर्माण, मुद्रास्फीति की गतिशीलता और जीडीपी मापन मेट्रिक्स को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
- मुख्य परीक्षा अनुप्रयोग:** औद्योगिक नीति, आर्थिक विकास मॉडल, विनिर्माण push (मेक इन इंडिया), और मौद्रिक नीति चुनौतियों पर प्रश्नों के लिए उच्च-उपज (high-yield) डेटा के रूप में कार्य करता है।

2. भारत ने सिंधु जल संधि पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को खारिज किया

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- PCA के फैसले को खारिज करना:** भारत ने सिंधु जल संधि (IWT) के "स्थगन" (abeyance) के संबंध में हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (CoA) के फैसले को दृढ़ता से खारिज कर दिया, और यह जोर दिया कि भारत के संप्रभु निर्णयों पर अदालत का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।
- संधि की स्थिति पर PCA का रुख:** CoA ने निष्कर्ष निकाला कि 1960 की संधि को स्थगित रखना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अनुचित था, और फैसला सुनाया कि पश्चिमी नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित दायित्व पूरी तरह से लागू रहेंगे।
- विदेश मंत्रालय का रुख:** विदेश मंत्रालय (MEA) ने CoA को आईडब्ल्यूटी तंत्र के स्पष्ट उल्लंघन में विश्व बैंक द्वारा स्थापित एक "गैर-कानूनी रूप से गठित निकाय" के रूप में वर्णित किया।
- गैर-मान्यता और गैर-उपस्थिति:** भारत ने समानांतर मध्यस्थता निकाय के समक्ष कभी भी उपस्थित न होने या इसकी कानूनी स्थिति अथवा घोषणाओं को स्वीकार न करने का एक सुसंगत रुख बनाए रखा है।
- स्थगन पर कैबिनेट का निर्णय:** संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय पहलगाम में एक आतंकवादी हमले के बाद अप्रैल 2025 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) के एक प्रस्ताव से उत्पन्न हुआ है, जो संधि के अनुपालन को सीमा पार आतंकवाद की समाप्ति से जोड़ता है।
- जलविद्युत परियोजनाओं पर प्रभाव:** विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अदालत के फैसले का पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं के भारत के चल रहे निष्पादन और संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **सिंधु जल संधि (1960):** विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल-वितरण संधि, जो भारत को पूर्वी नदियों (सतलुज, ब्यास, रावी) और पाकिस्तान को सीमित भारतीय गैर-उपभोग्य उपयोग अधिकारों के साथ पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) का आवंटन करती है।
- **स्थगन (Abeyance):** कानूनी साधनों या संधि दायित्वों पर लागू अस्थायी गैर-उपयोग, निलंबन या निष्क्रियता की स्थिति।
- **मध्यस्थता न्यायालय (CoA):** संधि की व्याख्या या आवेदन पर कानूनी विवादों को हल करने के लिए आईडब्ल्यूटी के अनुलग्नक G (Annexure G) के तहत गठित एक तदर्थ मध्यस्थता पैनल।
- **तटस्थ विशेषज्ञ (Neutral Expert):** पूर्ण मध्यस्थता लागू करने से पहले विशिष्ट इंजीनियरिंग या डिज़ाइन अंतरों को हल करने के लिए आईडब्ल्यूटी के अनुलग्नक F के तहत नियुक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **संविधान का अनुच्छेद 253:** विदेशी राष्ट्रों के साथ किसी भी संधि, समझौते या सम्मेलन को लागू करने के लिए भारत के पूरे क्षेत्र के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति संसद को प्रदान करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 73:** संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उन मामलों तक करता है जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियां और राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
- **संधियों के कानून पर विना सम्मेलन (VCLT) 1969:** अनुच्छेद 60 सामान्य अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के सामग्री उल्लंघन या गंभीर उल्लंघन (जैसे सीमा पार आतंकवाद) को संधि संबंधों के निलंबन या समाप्ति का आह्वान करने के आधार के रूप में मान्यता देता है।
- **आईडब्ल्यूटी अनुच्छेद IX (अंतर और विवादों का निपटारा):** एक क्रमिक विवाद निवारण तंत्र को निर्दिष्ट करता है जो स्थायी सिंधु आयोग से तटस्थ विशेषज्ञ और अंततः मध्यस्थता न्यायालय तक क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

CoA के फैसले को भारत द्वारा खारिज करना सहमत संधि प्रक्रियाओं को दरकिनार करने वाले समानांतर विवाद समाधान तंत्रों के खिलाफ इसके संप्रभु रुख को रेखांकित करता है। जल-साझाकरण प्रतिबद्धताओं को सीमा पार सुरक्षा से जोड़कर, भारत यह पुष्टि करता है कि संधि दायित्व मौलिक राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं से अलग होकर काम नहीं कर सकते।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों, सीमा पार जल कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्थानों के क्षेत्राधिकार का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक।
- **मुख्य परीक्षा अनुप्रयोग:** अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाम संप्रभु सुरक्षा विकल्पों, संरचित विवाद निपटान तंत्र और राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के प्रति विदेश नीति की प्रतिक्रियाओं पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु प्रदान करता है।

3. बिहार और झारखंड ने सोन नदी जल बंटवारे के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- अंतर-राज्यीय जल समझौता:** बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल की उपस्थिति में सोन नदी के पानी के बंटवारे के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- लंबे समय से लंबित विवाद का समाधान:** यह समझौता पूर्वी भारत में लंबे समय से चले आ रहे अंतर-राज्यीय जल विवाद को हल करता है, जो सहकारी संघवाद और "टीम भारत" के दृष्टिकोण के एक प्रमुख परिणाम के रूप में कार्य करता है।
- कृषि और पेयजल लाभ:** यह समझौता बिहार के जिलों (भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया, पटना) और झारखंड के जिलों (पलामू, गढ़वा) के ग्रामीण आबादी के लिए पर्याप्त पेयजल और सिंचाई जल सुरक्षित करता है।
- 2026 में चौथा अंतर-राज्यीय समझौता:** यह क्षेत्रीय सिंचाई, ग्रामीण विकास और पेयजल उपलब्धता को अनुकूलित करने के लिए इस वर्ष संपन्न चौथा अंतर-राज्यीय जल समझौता है।
- पूर्ववर्ती क्षेत्रीय समझौते:** 2026 में इससे पहले के समझौतों में नर्मदा अवॉर्ड लाभार्थी राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी) के बीच 7 जुलाई का समझौता और यमुना जल परियोजना पर 29 जून का राजस्थान-हरियाणा समझौता शामिल हैं।
- संस्थागत समन्वय:** यह समझौता तटवर्ती राज्यों के बीच सर्वसम्मति-आधारित विवाद समाधान को सुविधाजनक बनाने में केंद्रीय गृह मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय की भूमिका को उजागर करता है।

Bihar, Jharkhand sign MoU for sharing of Sone river water



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- सोन नदी:** मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास से निकलने वाली और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से होकर बहने वाली गंगा की एक प्रमुख दाहिने तट की सहायक नदी।
- सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism):** एक संवैधानिक अवधारणा जहां केंद्र और राज्य साझा विकासात्मक और प्राकृतिक संसाधन चुनौतियों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने के लिए सहयोग करते हैं।
- तटवर्ती अधिकार (Riparian Rights):** प्राकृतिक नदी मार्ग के किनारों पर स्थित भूमि स्वामियों और संप्रभु संस्थाओं के उसके पानी का उपयोग करने के अधिकारों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- संविधान का अनुच्छेद 262:** संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।

- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:** द्विपक्षीय बातचीत विफल होने पर जल विवादों को हल करने के लिए ट्रिब्यूनल स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 262 के तहत लागू किया गया।
- **प्रविष्टि 17 (राज्य सूची) और प्रविष्टि 56 (संघ सूची):** सातवीं अनुसूची के प्रावधान सार्वजनिक हित में अंतर-राज्यीय नदियों के केंद्रीय नियमन के साथ जल आपूर्ति और सिंचाई पर राज्य के नियंत्रण को संतुलित करते हैं।
- **आंचलिक परिषदें (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956):** केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाले वैधानिक निकाय जो क्षेत्रीय अंतर-राज्यीय नदी और संसाधन मुद्दों को हल करने के लिए मंच के रूप में कार्य करते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

सोन नदी के पानी पर बिहार-झारखंड समझौता ज्ञापन लंबे मुकदमेबाजी पर बातचीत के जरिए हुए समझौतों की प्रभावशीलता को उजागर करता है। न्यायसंगत संसाधन आवंटन सुनिश्चित करके, यह कृषि स्थिरता, क्षेत्रीय जल सुरक्षा और सहयोगात्मक शासन को मजबूत करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II (राज्यव्यवस्था और शासन):** अंतर-राज्यीय संबंधों, सहकारी संघवाद, अनुच्छेद 262, और संघर्ष समाधान के लिए वैधानिक तंत्र पर प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
- **जीएस पेपर I और III (भूगोल और अर्थव्यवस्था):** नदी बेसिन प्रबंधन, अंतर-राज्यीय जल वितरण, सिंचाई विस्तार और ग्रामीण विकास रणनीतियों से संबंधित प्रश्नों के लिए उपयोगी।

4. इसरो GSLV F17 के माध्यम से प्रमुख पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 लॉन्च करेगा

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **अंतरिक्ष प्रक्षेपणों की बहाली:** इसरो ने जनवरी में PSLV-C62 मिशन की विफलता के बाद सात महीने के प्रक्षेपण अंतराल को समाप्त करते हुए, 4 सितंबर को श्रीहरिकोटा से GSLV F17 के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 के प्रक्षेपण की घोषणा की।
- **प्रतिस्थापन मिशन (Replacement Mission):** EOS-05 (जिसे पहले GISAT-1A/GISAT-1 के रूप में नामित किया गया था) EOS-03 उपग्रह के प्रतिस्थापन के रूप में कार्य करता है, जो 2021 में वाल्व की खराबी के कारण क्रायोजेनिक अपर स्टेज इग्निशन की विफलता के चलते नष्ट हो गया था।
- **कक्षा विन्यास (Orbit Configuration):** 10-वर्षीय मिशन जीवनकाल के साथ कार्य करते हुए, EOS-05 उच्च भू-समकालिक कक्षा (GEO) में रखा जाने वाला भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जो पारंपरिक निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) नियुक्तियों से अलग है।
- **परिचालन संबंधी उद्देश्य:** उपग्रह को प्राकृतिक आपदाओं, कृषि स्वास्थ्य और वानिकी गतिशीलता की निगरानी के लिए बड़े भौगोलिक क्षेत्रों की निरंतर, उच्च-आवृत्ति वाली इमेजरी कैप्चर करने के लिए इंजीनियर किया गया है।
- **प्रक्षेपण यान की तैनाती:** मिशन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV F17) का उपयोग करता है, जो हाल के मिशन विसंगतियों के बाद इसरो की हेवी-लिफ्ट प्रक्षेपण क्षमता की बहाली को प्रदर्शित करता है।

- आगामी लॉन्च पाइपलाइन:** EOS-05 के बाद, इसरो ने नेविगेशन और पृथ्वी अवलोकन बेड़े में परिचालन गति को बहाल करने के अपने प्रयासों के तहत नवंबर में NVS-03 की तैनाती की योजना बनाई है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- भू-समकालिक पृथ्वी कक्षा (GEO):** पृथ्वी के भूमध्य रेखा से लगभग 35,786 किमी ऊपर स्थित एक कक्षा, जो पृथ्वी की घूर्णन अवधि से मेल खाती है और एक निश्चित सतह क्षेत्र की निरंतर निगरानी करने में सक्षम बनाती है।
- क्रायोजेनिक अपर स्टेज (Cryogenic Upper Stage):** अत्यधिक कम तापमान पर संग्रहीत द्रवीभूत गैसों (तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन) का उपयोग करने वाला एक रॉकेट चरण, जो उच्च-ऊंचाई वाली कक्षाओं में भारी पेलोड रखने के लिए उच्च प्रणोद दक्षता प्रदान करता है।
- पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (EOS):** पृथ्वी प्रणालियों के बारे में भौतिक, रासायनिक और जैविक डेटा एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष सेंसर से लैस एक अंतरिक्ष-आधारित रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- संविधान का अनुच्छेद 51A(h):** वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने के लिए एक मौलिक कर्तव्य स्थापित करता है।
- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** राष्ट्रीय अंतरिक्ष संचालन को विनियमित करती है, परिचालन अंतरिक्ष संपत्तियों को इसरो को, वाणिज्यिक जुड़ाव को एनएसआईएल (NSIL) को, और निजी क्षेत्र के एकीकरण को इन-स्पेस (IN-SPACE) को सौंपती है।
- भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961:** अंतरिक्ष विभाग (DoS) को नियंत्रित करता है, जो रणनीतिक अंतरिक्ष विज्ञान और उपग्रह प्रौद्योगिकी विकास की देखरेख के लिए सीधे प्रधानमंत्री के तहत काम करता है।
- अंतरिक्ष दायित्व सम्मेलन (1972):** भारत द्वारा अनुसमर्थित एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा जो पृथ्वी की सतह पर या उड़ान में विमानों को अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाले नुकसान के लिए प्रक्षेपणकारी राज्यों पर पूर्ण दायित्व डालता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

GSLV F17 के माध्यम से EOS-05 का प्रक्षेपण उच्च-ऊंचाई वाली वास्तविक समय (real-time) इमेजरी क्षमता को बहाल करते हुए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण बहाली कदम का प्रतीक है। हाल की तकनीकी विसंगतियों पर काबू पाना राष्ट्रीय आपदा निगरानी क्षमताओं को मजबूत करता है और उपग्रह संचालन में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी):** अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास, और कृषि तथा आपदा प्रबंधन में उपग्रह अनुप्रयोगों से संबंधित विषयों के लिए आवश्यक।

- मुख्य परीक्षा अनुप्रयोग: राष्ट्रीय अंतरिक्ष शासन नीतियों, शासन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों, और प्रक्षेपण यान विसंगतियों पर काबू पाने से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक सामग्री प्रदान करता है।

5. टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स भारत में अमेरिकी जेवलिन मिसाइल प्रणाली का सह-उत्पादन करेगी

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक समझौता:** टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) ने भारत में जेवलिन मिसाइल प्रणाली के सह-उत्पादन के लिए जेवलिन जॉइंट वेंचर (JJV)—जो कि अमेरिकी रक्षा दिग्गज रेथियॉन (Raytheon) और लॉकहीड मार्टिन (Lockheed Martin) की एक संयुक्त संस्था है—के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- इन-कंट्री इंटीग्रेशन सुविधा (In-Country Integration Facility):** इस समझौते का उद्देश्य भारत के भीतर घटक उत्पादन क्षमताओं के साथ-साथ जेवलिन ऑल अप राउंड (AUR) के लिए एक अंतिम असेंबली और एकीकरण सुविधा स्थापित करना है।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला तंत्र:** लॉकहीड मार्टिन की अलबामा सुविधा सब-असेंबली किट का निर्माण करेगी, जबकि रेथियॉन का एरिजोना संयंत्र गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स (GEUs) का उत्पादन करेगा, दोनों को अंतिम असेंबली के लिए भारत निर्यात किया जाएगा।
- सामरिक भारत-प्रशांत एकीकरण (Strategic Indo-Pacific Integration):** इस सहयोग का उद्देश्य भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ाना, स्थानीय उच्च-तकनीकी नौकरियों का विस्तार करना और भारत-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय परिचालन तैयारियों में सुधार करना है।
- विरासत के गतिरोधों का समाधान:** यह सौदा शुरुआती जेवलिन इकाइयों को हासिल करने के लिए सरकार-से-सरकार के समझौते का अनुसरण करता है, जो 2010 के ऐतिहासिक घर्षण बिंदुओं को दूर करता है, जब प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रतिबंधों और अमेरिकी अंतिम-उपयोग निगरानी आवश्यकताओं पर बातचीत ठप हो गई थी।
- घरेलू आत्मनिर्भरता का समर्थन:** निजी घरेलू रक्षा खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण असेंबली विशेषज्ञता और ज्ञान हस्तांतरण लाकर, यह साझेदारी रक्षा क्षेत्र विनिर्माण सुधारों के तहत भारत के स्वदेशीकरण के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM):** एक निर्देशित मिसाइल जिसे विशेष रूप से सटीक मारक क्षमता के साथ भारी बख्तरबंद सैन्य वाहनों और किलेबंद लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए इंजीनियर किया गया है।
- **ऑल अप राउंड (AUR):** एक पूरी तरह से इकट्ठी (assembled) और एकीकृत मिसाइल प्रणाली जो तत्काल परिचालन तैनाती के लिए तैयार वितरित की जाती है।
- **फायर-एंड-फॉरगेट क्षमता (Fire-and-Forget Capability):** एक मिसाइल मार्गदर्शन विधि जहाँ हथियार प्रक्षेपण के बाद आंतरिक सेंसर का उपयोग करके अपने लक्ष्य को स्वचालित रूप से ट्रैक करता है, जिससे ऑपरेटर द्वारा निरंतर दूरस्थ मार्गदर्शन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- **कमांड लॉन्च यूनिट (CLU):** ऑप्टिकल और थर्मल इमेजिंग क्षमताएं प्रदान करने के लिए मिसाइल लॉन्च ट्यूब से जुड़ी एक पुनः उपयोग योग्य लक्ष्य-अधिग्रहण और अग्नि-नियंत्रण इकाई।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020:** भारत में पूंजीगत अधिग्रहण को नियंत्रित करती है, 'बाय एंड मेक (इंडियन)' और 'स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' मॉडल जैसी श्रेणियों के माध्यम से "मेक इन इंडिया" पहल को प्राथमिकता देती है।
- **रक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति:** रक्षा विनिर्माण के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 74% एफडीआई की अनुमति देती है, और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए सरकारी मार्ग के माध्यम से 100% तक की अनुमति देती है।
- **अमेरिकी शस्त्र नियंत्रण अधिनियम (AECA):** अमेरिकी कानून जो विदेशी सैन्य बिक्री, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा वस्तुओं के लिए अनिवार्य अंतिम-उपयोग निगरानी प्रोटोकॉल को नियंत्रित करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 51:** अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, जो रणनीतिक साझेदारी के ढांचे और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौतों को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

TASL और JJV के बीच सह-उत्पादन समझौता भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण विकास को उजागर करता है, जो खरीदार-विक्रेता मॉडल से गहरे औद्योगिक सहयोग में बदल रहा है। स्थानीय असेंबली क्षमताओं की स्थापना घरेलू रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को बढ़ावा देती है जबकि सशस्त्र बलों को महत्वपूर्ण एंटी-टैंक क्षमताएं प्रदान करती है।

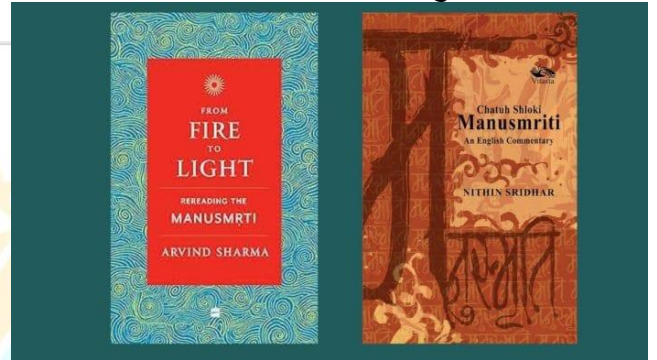
यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर III (आंतरिक सुरक्षा और विज्ञान/प्रौद्योगिकी):** प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण, घरेलू रक्षा औद्योगिक आधारों के विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण गतिशीलता से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
- **जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी, भारत-प्रशांत सुरक्षा संरचना और विदेश नीति के व्यापार-बंदों के मूल्यांकन के लिए ठोस सामग्री के रूप में कार्य करता है।

6. मनुस्मृति की पुनर्व्याख्या: औपनिवेशिक व्याख्याशास्त्र से परे जाना

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- औपनिवेशिक कानूनी इतिहासलेखन की आलोचना:** औपनिवेशिक प्रशासकों और विदेशी अनुवादकों ने पारंपरिक प्राचीन भारतीय कानूनी ग्रंथों को "हिंदू कानून" की एकाशमीय (monolithic) छत्रछाया में वर्गीकृत किया, जिससे एक कठोर, पश्चिमी कानूनी दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील स्वदेशी न्यायशास्त्र को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया।
- महिलाओं पर श्लोकों का पुनर्मूल्यांकन:** अक्सर उद्धृत श्लोक *पिता रक्षति कौमारे...* का औपनिवेशिक विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक रूप से अनुवाद किया गया है ताकि यह दर्शाया जा सके कि महिलाएं "स्वतंत्रता के अयोग्य" हैं, जबकि मूल संस्कृत शब्द अधीनता के बजाय परिवार के सदस्यों द्वारा एक सुरक्षात्मक दायित्व (*रक्षा*) को दर्शाते हैं।
- संदर्भगत और युगकालीन व्याख्या:** प्राचीन न्यायशास्त्र को उसके समय की सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप तैयार किया गया था और उसके लेखकों द्वारा कभी भी भविष्य के सभी ऐतिहासिक युगों में एक अपरिवर्तनीय, शाब्दिक संहिता के रूप में लागू करने का इरादा नहीं था।
- कानूनी मार्गदर्शन के चार स्रोत:** प्राचीन भारतीय न्यायशास्त्र ने धर्म के चार अलग-अलग स्रोतों को मान्यता दी: श्रुति (दिव्य रहस्योद्घाटन), स्मृति (याद रखी गई परंपराएं), सदाचार (धर्मी लोगों की प्रथागत प्रथाएं), और आत्मनस्तुष्टि (व्यक्तिगत अंतरात्मा या अच्छी अंतरात्मा)।
- शास्त्रीय भाषाओं की सूक्ष्मता:** संस्कृत शब्दों में व्यापक अर्थगत सीमा होती है, जिसके लिए आम लोगों या विदेशी टिप्पणीकारों द्वारा शाब्दिक, यंत्रवत अनुवादित व्याख्याओं के बजाय विशेष पाठ्य विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
- सांस्कृतिक विरासत बनाम स्थैतिक कानून:** प्राचीन कानूनी पाठ एक विरासत में मिली सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बाध्यकारी आधुनिक वैधानिक संहिताओं के बजाय ऐतिहासिक सभ्यता के चरणों को दर्शाती है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- श्रुति:** दिव्य रहस्योद्घाटन के प्रामाणिक ग्रंथ जिन्हें उत्पत्ति में शाश्वत और गैर-मानवीय माना जाता है, जिनमें चारों वेद शामिल हैं।
- स्मृति:** प्राचीन ऋषियों द्वारा स्मृति के माध्यम से प्रसारित पारंपरिक ग्रंथ, जिनमें विशिष्ट युगों के लिए लागू सामाजिक-कानूनी नियम, कर्तव्य और संस्थागत ढांचे शामिल हैं।
- सदाचार:** समाज के भीतर धर्मी, ईश्वरीय रूप से प्रेरित व्यक्तियों द्वारा पालन किया जाने वाला प्रथागत आचरण और नैतिक प्रथाएं, जो कानून के एक सहायक स्रोत के रूप में कार्य करती हैं।
- आत्मनस्तुष्टि:** व्यक्तिगत संतोष या आंतरिक अंतरात्मा, जो कानूनी और नैतिक निर्णय लेने में एक अंतिम स्व-चिंतनशील मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- संविधान का अनुच्छेद 13:** यह अनिवार्य करता है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत सभी पूर्व-संवैधानिक कानून, रीति-रिवाज या उपयोग ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य (void) हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 14 और 15:** कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, जो ऐतिहासिक व्यक्तिगत कानूनों को ओवरराइड करता है।
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संशोधित 2005):** महिलाओं के लिए समान सहदायागी (coparcenary) अधिकारों को संहिताबद्ध करता है, जो पारंपरिक व्याख्याओं से प्राप्त पितृसत्तात्मक संपत्ति मानदंडों को वैधानिक रूप से समाप्त करता है।
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955:** एकविवाह, तलाक के समान अधिकार और कानूनी रखरखाव तंत्र को संहिताबद्ध करके पारंपरिक वैवाहिक कानूनों का पुनर्गठन करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्राचीन कानूनी ग्रंथों को समझने के लिए कठोर औपनिवेशिक अनुवादों से दूर हटकर उनके ऐतिहासिक संदर्भ के सूक्ष्म मूल्यांकन की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। जबकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन पूरी तरह से संवैधानिक नैतिकता और लैंगिक समानता पर आधारित है, पारंपरिक न्यायशास्त्र का विश्लेषण भारत की विकसित कानूनी विरासत की समझ को समृद्ध करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर I (भारतीय विरासत और संस्कृति, समाज):** प्राचीन भारतीय न्यायशास्त्र, महिलाओं की स्थिति पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण और स्वदेशी संस्थानों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
- जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** व्यक्तिगत कानूनों के विकास, संवैधानिक नैतिकता बनाम पारंपरिक रीति-रिवाजों और कानूनी सुधार पहलों से जुड़े विषयों के लिए विश्लेषणात्मक गहराई प्रदान करता है।

7. वेनेजुएला के कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण के लिए अमेरिकी रणनीतिक प्रयास

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- विशाल तेल सौदे की घोषणा:** अमेरिका ने वेनेजुएला के जर्जर ऊर्जा बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से वेनेजुएला के 65 अरब बैरल से अधिक तेल—जो इसके सिद्ध तेल भंडार का 20% है—पर बहुमत नियंत्रण प्राप्त करने की योजना की घोषणा की।
- दुनिया का सबसे बड़ा भंडार बनाम उत्पादन में गिरावट:** वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार (लगभग 300 अरब बैरल) है, फिर भी वर्तमान में वैश्विक खपत का 1% से भी कम उत्पादन करता है, जो 1997 में 3.5 मिलियन बीपीडी से गिरकर 2024 में 0.9 मिलियन बीपीडी हो गया है।

- रिफाइनरी अनुकूलता आवश्यकताएं:** अमेरिकी रुचि कच्चे तेल के ग्रेड डायनेमिक्स से प्रेरित है; यूएस गल्फ कोस्ट रिफाइनरियों को "हैवी सोर" (सघन, उच्च-सल्फर) कच्चे तेल के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो वेनेजुएला के पास मौजूद है, जबकि अमेरिकी घरेलू उत्पादन में "लाइट स्वीट" तेल का दबदबा है।
- भू-राजनीतिक और ऊर्जा सुरक्षा उद्देश्य:** वेनेजुएला के तेल तक पहुंच प्राप्त करना फारस की खाड़ी की आपूर्ति में व्यवधानों (जैसे होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास संकट) के दौरान एक विश्वसनीय आपूर्ति स्रोत प्रदान करता है, जबकि पश्चिमी गोलार्ध में चीनी और रूसी निवेश को नियंत्रित करता है।
- परिचालन और निवेश ढांचा:** प्रस्तावित योजनाओं में 17 तेल क्षेत्रों को विकसित करने वाले संयुक्त उद्यम शामिल हैं, जहां निजी पूंजी और प्रौद्योगिकी उत्पादन को बहाल करने का प्रयास करेगी, जिसके लिए 15 वर्षों में 180 अरब डॉलर से अधिक की आवश्यकता का अनुमान है।
- घरेलू और संप्रभु विरोध:** वेनेजुएला में राजनीतिक नेता और विपक्षी हस्तियां गंभीर कानूनी चिंताएं व्यक्त करते हैं, और संप्रभु प्राकृतिक संसाधनों पर विदेशी परिचालन नियंत्रण प्रदान करने के लिए अंतरिम प्रशासन के अधिकार पर सवाल उठाते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- हैवी सोर क्रूड (Heavy Sour Crude):** उच्च घनत्व (श्यानता) और उंचे सल्फर सामग्री की विशेषता वाला पेट्रोलियम, जिसे ईंधन उत्पादों में संसाधित करने के लिए विशेष जटिल रिफाइनरियों की आवश्यकता होती है।
- लाइट स्वीट क्रूड (Light Sweet Crude):** कम सल्फर सामग्री वाला कम घनत्व वाला पेट्रोलियम जिसे गैसोलीन और डीजल में परिष्कृत करना सरल और सस्ता है।
- जिसों में विनिमेयता (Fungibility in Commodities):** वस्तुओं के परस्पर विनिमेय होने का गुण; कच्चा तेल पूरी तरह से विनिमेय नहीं है क्योंकि रिफाइनरी सेटअप विशिष्ट गुरुत्व और सल्फर ग्रेड पर निर्भर करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 1803 (प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता):** यह स्थापित करता है कि लोगों और राष्ट्रों का अपने प्राकृतिक धन और संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता का अधिकार राष्ट्रीय विकास के हित में प्रयोग किया जाना चाहिए।
- अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA):** अमेरिकी कार्यकारी शाखा को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को विनियमित करने और घोषित राष्ट्रीय आपातस्थिति के दौरान आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है।
- वेनेजुएला के संविधान का अनुच्छेद 12:** यह घोषित करता है कि राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर खनिज और हाइड्रोकार्बन जमा गणराज्य के हैं और सार्वजनिक डोमेन की संपत्ति हैं, जो पूर्ण निजी विदेशी स्वामित्व को सीमित करते हैं।

- **ऊर्जा नीति अधिनियम 2005 (अमेरिका):** राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक पेट्रोलियम आरक्षित नीति और घरेलू रिफाइनरी एकीकरण को निर्देशित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में प्रस्तावित अमेरिकी हस्तक्षेप संसाधन भूविज्ञान, रिफाइनरी बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति प्रक्षेपण के प्रतिच्छेदन को रेखांकित करता है। जबकि भारी कच्चे तेल तक पहुंच अमेरिकी औद्योगिक जरूरतों और भू-राजनीतिक रणनीतियों को संबोधित करती है, राजनीतिक अस्थिरता और अत्यधिक पूंजी आवश्यकताएं प्रमुख निष्पादन बाधाएं पेश करती हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** ऊर्जा भू-राजनीति, प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य की संप्रभुता, लैटिन अमेरिकी सुरक्षा गतिशीलता और विदेश नीति की रणनीतियों का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक।
- **जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा):** वैश्विक कच्चे तेल बाजार की गतिशीलता, आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों, रणनीतिक भंडार और वैश्विक आर्थिक प्रतिबंधों से संबंधित प्रश्नों के लिए उच्च मूल्य।

8. केंद्र ने सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम के लिए ढांचे को अधिसूचित किया

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **वित्तीय परिव्यय और दायरा:** केंद्रीय सरकार ने 1.27 लाख करोड़ रुपये के सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम के परिचालन ढांचे को अधिसूचित किया, जिससे वित्तीय सब्सिडी को फैब्रिकेशन से आगे बढ़ाकर डिजाइन, विनिर्माण उपकरण, कच्चे माल और उन्नत पैकेजिंग तक विस्तारित किया गया।
- **छह-स्तंभ मिशन वास्तुकला:** कैबिनेट द्वारा अनुमोदित, मिशन छह अलग-अलग स्तंभों में सहायता की संरचना करता है, जिसमें से कम से कम तीन स्तंभ विशेष रूप से घरेलू सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन और बौद्धिक संपदा (IP) निर्माण के लिए समर्पित हैं।
- **रणनीतिक और महत्वपूर्ण आईपी विकास:** सी-डैक (C-DAC) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (कंप्यूट, मेमोरी, आरएफ, पावर, नेटवर्किंग, सेंसर) में उपयोग की जाने वाली चिप्स के डिजाइन के लिए प्रतिस्पर्धी निविदाएं जारी करेगा, जिसके परिणामस्वरूप सी-डैक और निजी फर्मों के बीच संयुक्त आईपी स्वामित्व होगा।
- **फैबलेस स्टार्ट-अप के लिए समर्थन:** वाणिज्यिक चिप्स डिजाइन करने वाले पात्र स्टार्ट-अप और एमएसएमई (MSME) 15 करोड़ रुपये तक (या परियोजना लागत का 50%) सीड फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बड़ी कंपनियां सरकारी सहायता के 1.5 गुना तक सीमित रॉयल्टी-आधारित वित्तपोषण तक पहुंच प्राप्त कर सकती हैं।
- **OCI स्वामित्व के माध्यम से विस्तारित पात्रता:** भारत में निगमित और मुख्यालय वाली कंपनियां पात्र हैं यदि वे भारतीय नागरिकों या महत्वपूर्ण घरेलू परिचालन उपस्थिति वाले विदेशी भारतीय नागरिकों (OCIs) के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं।

- अपस्ट्रीम आपूर्ति श्रृंखला सब्सिडी:** यह योजना अनुसंधान एवं विकास (R&D) सुविधाओं, सिलिकॉन वेफर उत्पादन, फोटोमास्क, सबस्ट्रेट्स और विशेष गैसों के लिए 30% पूंजीगत व्यय सहायता प्रदान करती है, इसके साथ उपकरण निर्माताओं के लिए पीएलआई (PLI) सहायता (10% से 2% तक) घटती जाती है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी (Fabless Semiconductor Company):** एक ऐसी फर्म जो बाहरी सेमीकंडक्टर फाउंड्री को भौतिक निर्माण का ठेका देते हुए माइक्रोचिप्स और हार्डवेयर का डिज़ाइन और विपणन करती है।
- बौद्धिक संपदा (IP) कोर:** सेल, लॉजिक या एकीकृत सर्किट लेआउट डिज़ाइन की एक पुनः उपयोग योग्य इकाई जो माइक्रोचिप आर्किटेक्चर के लिए एक मूलभूत निर्माण खंड के रूप में कार्य करती है।
- इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन (EDA):** एकीकृत सर्किट और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के डिज़ाइन, सिमुलेशन और सत्यापन के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर टूल की एक श्रेणी।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- संविधान का अनुच्छेद 282:** सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संघ द्वारा विवेकाधीन अनुदान को अधिकृत करता है, जो योजना परिव्यय संवितरण और औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति 2019 (NPE 2019):** भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन और मैनुफैक्चरिंग (ESDM) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए व्यापक ढांचा स्थापित करती है।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** विदेशी नागरिकों और ओसीआई (OCIs) से जुड़े कॉर्पोरेट स्वामित्व संरचनाओं, इक्विटी सह-निवेश और सीमा पार तकनीक पूंजी प्रवाह को नियंत्रित करता है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006:** तकनीक-केंद्रित स्टार्ट-अप और एमएसएमई को राजकोषीय प्रोत्साहन वर्गीकृत करने और चैनल करने के लिए वैधानिक ढांचा निर्धारित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

सेमीकॉन 2.0 ढांचा कम-मूल्य वाली असेंबली से उच्च-मूल्य वाले घरेलू आईपी निर्माण और फैबलेस डिज़ाइन की ओर एक रणनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। अपस्ट्रीम आपूर्ति श्रृंखलाओं को एकीकृत करके, उपकरण विनिर्माण का समर्थन करके और ओसीआई विशेषज्ञता का लाभ उठाकर, भारत का लक्ष्य घरेलू सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता का निर्माण करना है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था):** औद्योगिक नीति, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण और ESDM क्षेत्र के विकास पर प्रश्नों के लिए उच्च-उपज (high-yield) सामग्री।
- मुख्य परीक्षा अनुप्रयोग:** घरेलू आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों, सार्वजनिक-निजी आईपी स्वामित्व मॉडल और रणनीतिक प्रौद्योगिकी शासन पर संरचित डेटा प्रदान करता है।

9. अक्षय ऊर्जा विस्तार के बीच एनटीपीसी का लाभ राजस्व वृद्धि से आगे निकला

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- वृद्धि मेट्रिक्स में भिन्नता (Divergence in Growth Metrics):** राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC Ltd) ने पिछले तीन वर्षों में राजस्व वृद्धि की तुलना में तेज लाभ वृद्धि दर्ज की, जो कि अक्षय ऊर्जा में भारत के आक्रामक क्षमता संवर्धन के समय के साथ मेल खाती है।
- फिक्स्ड चार्जेस तंत्र (Fixed Charges Mechanism):** लाभप्रदता मजबूत बनी हुई है क्योंकि बिजली खरीद समझौते (PPAs) वास्तविक बिजली प्रेषण (power dispatch) की परवाह किए बिना संयंत्र की उपलब्धता (plant availability) बनाए रखने के लिए निश्चित क्षमता शुल्क (fixed capacity charges) के माध्यम से तापीय विद्युत उत्पादकों को क्षतिपूर्ति करते हैं।
- वित्तीय प्रदर्शन संकेतक (Financial Performance Indicators):** 2025-26 में, एनटीपीसी की कुल आय 0.56% गिरकर 1,89,798.56 करोड़ रुपये हो गई, फिर भी कर पश्चात लाभ (PAT) साल-दर-साल 15% बढ़कर 27,545.76 करोड़ रुपये हो गया; इससे पहले 2023-24 में, आय में केवल 1.79% की वृद्धि के बावजूद PAT में 24.6% की वृद्धि हुई थी।
- तापीय बेड़े (Thermal Fleet) की परिचालन भूमिका:** बढ़ते सौर और पवन उत्पादन से अक्षय ऊर्जा के पीक घंटों के दौरान कोयले से चलने वाली बिजली उत्पादन में कमी आती है, जिससे ग्रीड की स्थिरता को बैकअप देते हुए तापीय इकाइयों को कम क्षमता उपयोग पर काम करने की आवश्यकता होती है।
- डिस्कॉम पर लागत का बोझ (Cost Burden on DISCOMs):** बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे मांग को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा की खरीद के साथ-साथ तापीय संयंत्रों को निश्चित क्षमता शुल्क का भुगतान करना जारी रखती हैं।
- लचीलापन और MTL जनादेश (Flexibility & MTL Mandate):** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने 2030 तक न्यूनतम तकनीकी भार (MTL) को 40% तक कम करने की एक रूपरेखा रेखांकित की, हालांकि उद्योग के प्रतिनिधि 55% भार से नीचे परिचालन जोखिमों और उपकरणों की घिसावट का हवाला देते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- फिक्स्ड चार्जेस (क्षमता शुल्क) [Fixed Charges (Capacity Charges)]:** संयंत्र की उपलब्धता के आधार पर पूंजीगत लागत, निश्चित संचालन और रखरखाव खर्चों को कवर करने के लिए डिस्कॉम द्वारा बिजली उत्पादकों को किए जाने वाले संविदात्मक भुगतान।
- वेरिएबल चार्जेस (ऊर्जा शुल्क) [Variable Charges (Energy Charges)]:** केवल सक्रिय बिजली उत्पादन के दौरान होने वाले वास्तविक ईंधन और परिचालन लागत को कवर करने के लिए बिजली उत्पादकों को किए जाने वाले भुगतान।
- न्यूनतम तकनीकी भार (MTL) [Minimum Technical Load]:** सबसे कम स्थिर उत्पादन स्तर जिस पर एक तापीय विद्युत संयंत्र इकाई पूरी तरह से बंद हुए बिना लगातार सुरक्षित रूप से संचालित हो सकती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- विद्युत अधिनियम, 2003:** उत्पादन, पारेषण, वितरण और शुल्क (टैरिफ) निर्धारण को नियंत्रित करने वाला ढांचा, जो नियामकों को बहु-स्तरीय टैरिफ प्रणालियों को संरचित करने के लिए सशक्त बनाता है।
- टैरिफ नीति, 2016:** उपभोक्ता हित के साथ उत्पादकों के लिए वित्तीय व्यवहार्यता को संतुलित करने के लिए द्वि-स्तरीय टैरिफ संरचनाओं (निश्चित और परिवर्तनीय) को अनिवार्य करते हुए विद्युत अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी की गई।
- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) विनियम:** केंद्रीय तापीय उत्पादन स्टेशनों के लिए उपलब्धता-आधारित टैरिफ, क्षमता शुल्क वसूली और परिचालन मापदंडों के लिए मानदंड निर्धारित करता है।
- अनुच्छेद 297 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 38:** सातवीं अनुसूची के प्रावधान जो बिजली विनियमन, राष्ट्रीय ग्रिड स्थिरता और ऊर्जा संक्रमण शासन पर संघीय प्राधिकरण प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

एनटीपीसी की वित्तीय गतिशीलता भारत के ऊर्जा संक्रमण की संरचनात्मक वास्तविकताओं को उजागर करती है। जबकि दो-भाग वाले टैरिफ आवश्यक ग्रिड संतुलन प्रदान करते हुए तापीय उपयोगिता शोधन क्षमता (solvency) की रक्षा करते हैं, न्यूनतम तकनीकी भार को कम करना डिस्कॉम पर निरंतर निश्चित लागत का बोझ डाले बिना परिवर्तनशील अक्षय ऊर्जा को कुशलतापूर्वक एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

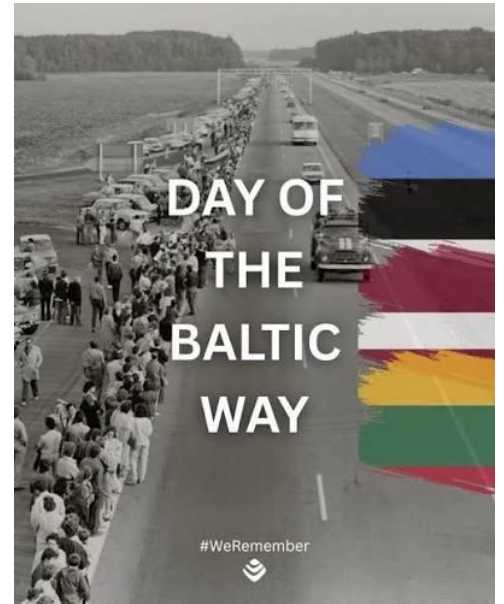
- जीएस पेपर III (बुनियादी ढांचा और ऊर्जा):** ऊर्जा सुरक्षा, बिजली क्षेत्र के सुधारों, डिस्कॉम की व्यवहार्यता और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण पर प्रश्नों के लिए उच्च प्रासंगिकता।
- मुख्य परीक्षा अनुप्रयोग:** टैरिफ संरचनाओं, ग्रिड संतुलन तंत्र और तापीय ऊर्जा लचीलेपन से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों के संबंध में विश्लेषणात्मक गहराई प्रदान करता है।

10. बाल्टिक मार्ग — बाल्टिक स्वतंत्रता पर गांधी की छाप

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- 37वीं वर्षगांठ और ऐतिहासिक संदर्भ:** 23 अगस्त 2026 को ऐतिहासिक 1989 के बाल्टिक वे (Baltic Way) मानव श्रृंखला की 37वीं वर्षगांठ मनाई गई, जहां 20 लाख लोगों ने सोवियत शासन से स्वतंत्रता की मांग करते हुए 675 किमी (टालिन से रीगा से विल्नियस) तक हाथ मिलाया था।
- मोलोटोव-रिबेंट्रॉप समझौते के खिलाफ विरोध:** नाजी जर्मनी और यूएसएसआर के बीच पूर्वी यूरोप को विभाजित करने वाले 1939 के गुप्त प्रोटोकॉल की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित, इस प्रदर्शन ने सोवियत संघ पर 1991 में प्रोटोकॉल को स्वीकार करने का सफलतापूर्वक दबाव बनाया।

- **गांधीवादी दर्शन एक मुख्य रणनीति के रूप में:** सिंगिंग रिवोल्यूशन (1986-91) के नेताओं ने सीधे तौर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सिद्धांतों—अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा—से प्रेरणा ली, रिचर्ड एटनबरो की 'गांधी' फिल्म के प्रसारण का उपयोग करके नागरिकों को शिक्षित किया।
- **संस्थागत मान्यता और स्मृति:** यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में अंकित, इस आंदोलन ने नागरिक-आधारित अहिंसक रक्षा को कब्जा करने वाली सैन्य ताकतों के खिलाफ एक सफल मॉडल के रूप में स्थापित किया।
- **द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना (2025-26):** गांधीवादी सांस्कृतिक संबंध मजबूत राजनयिक और आर्थिक संबंधों में परिपक्व हुए हैं; द्विपक्षीय व्यापार 2025-26 में लिथुआनिया के साथ 490.61 मिलियन डॉलर, लातविया के साथ 475.66 मिलियन डॉलर और एस्टोनिया के साथ 219.69 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
- **ऐतिहासिक सॉफ्ट-पावर संबंध:** ऐतिहासिक संबंधों में गांधी के लिथुआनियाई मूल के सहयोगी हरमन कालेनबैक, यात्री अंतनास पोस्का और बाल्टिक देशों (2019 में लातविया, 2025 में एस्टोनिया और रूस, लिथुआनिया) में स्थापित स्मारक मूर्तियां शामिल हैं।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **बाल्टिक वे (Baltic Way):** सोवियत कब्जे के विरोध में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में एक निरंतर मानव श्रृंखला बनाने वाला 23 अगस्त 1989 का एक शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रदर्शन।
- **सिंगिंग रिवोल्यूशन (Singing Revolution):** 1986 और 1991 के बीच की अवधि जिसके दौरान बाल्टिक राज्यों ने पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्ट के तहत सोवियत शासन का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय गीतों और अहिंसक प्रतिरोध का उपयोग किया।
- **मोलोटोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट (1939):** नाजी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच एक गैर-आक्रमण संधि जिसमें गुप्त प्रोटोकॉल शामिल थे, जिसने बाल्टिक राज्यों को अवैध रूप से सोवियत प्रभाव क्षेत्र में सौंप दिया था।
- **नागरिक-आधारित रक्षा (Civilian-Based Defence):** एक जानबूझकर बनाई गई रक्षा नीति जो विदेशी कब्जे को रोकने या हराने के लिए नागरिक आबादी द्वारा असहयोग, सामूहिक नागरिक प्रतिरोध और मनोवैज्ञानिक धीरज पर निर्भर करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 1(2):** लोगों के आत्मनिर्णय के मौलिक अधिकार को संहिताबद्ध करता है, जो बाल्टिक संप्रभुता को बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 2625 (मैत्रीपूर्ण संबंध घोषणा):** गैर-कानूनी बाहरी अधिग्रहण के खिलाफ अहिंसक संघर्ष का समर्थन करते हुए सैन्य कब्जे से दूर रहने के राज्यों के कर्तव्य को रेखांकित करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देता है, जो गांधीवादी कूटनीति के माध्यम से सॉफ्ट-पावर आउटरीच को दर्शाता है।

- विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित यूनेस्को सम्मेलन (1972): बाल्टिक वे जैसे मानव स्वतंत्रता के ऐतिहासिक मील के पथरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर सूचियों को रेखांकित करने वाला ढांचा।

निष्कर्ष (Conclusion)

बाल्टिक वे आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गांधीवादी अहिंसा के एक महान परिचालन के रूप में खड़ा है। नैतिक अंतरात्मा को राजनीतिक प्रतिरोध से जोड़कर, बाल्टिक राष्ट्रों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों में निहित भारत के साथ स्थायी सांस्कृतिक, राजनयिक और व्यापारिक साझेदारी बनाकर राज्य का दर्जा प्राप्त किया।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर I (विश्व इतिहास और भारतीय संस्कृति): भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गांधीवादी दर्शन और सोवियत संघ के पतन के वैश्विक प्रभावों की जांच के लिए उच्च प्रासंगिकता।
- जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): भारत-बाल्टिक द्विपक्षीय संबंधों, सॉफ्ट पावर कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे और अहिंसक संघर्ष समाधान मॉडल पर प्रश्नों के लिए समृद्ध सामग्री के रूप में कार्य करता है।

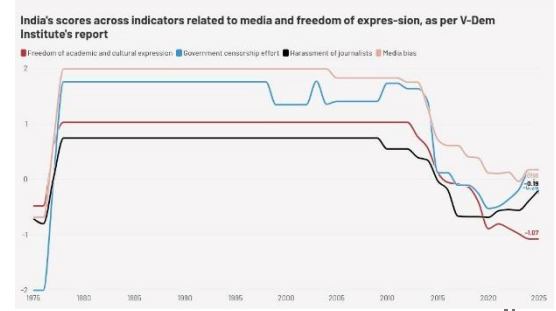
11. वी-डेम लोकतंत्र सूचकांक ने भारत को 1975 के बाद से सबसे निचले स्तर पर रखा

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- 1975 के बाद से सबसे कम लोकतांत्रिक स्कोर:** गोटेनबर्ग स्थित वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी (V-Dem) इंस्टीट्यूट के अनुसार, भारत का चुनावी लोकतंत्र सूचकांक स्कोर 2025 में गिरकर 0.38 (179 देशों में से 106वें स्थान पर) हो गया, जो 1975 के आपातकालीन काल (0.39) के बाद से इसका सबसे कम स्कोर है।
- यूएन CERD की टिप्पणियां:** यह रिपोर्ट मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं—विशेष रूप से मुसलमानों—को चुनावी प्रक्रियाओं से बाहर करने के संबंध में नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (CERD) द्वारा उठाई गई चिंताओं के अनुरूप है।
- संस्थागत स्वायत्तता में गिरावट:** वी-डेम संकेतक चुनाव प्रबंधन निकायों (EMBs) की स्वायत्तता, न्यायिक जवाबदेही, अदालती आदेशों के अनुपालन और निष्पक्ष सार्वजनिक प्रशासन में भारी बहु-दशकीय गिरावट दिखाते हैं।
- चुनावी अनियमितताएं और उत्पीड़न:** यह सूचकांक चुनावी चक्रों के दौरान विपक्षी दलों के संस्थागत उत्पीड़न के साथ-साथ बढ़ती मतदाता अनियमितताओं को दर्ज करता है।
- अकादमिक और मीडिया स्वतंत्रता का क्षरण:** अकादमिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुसंधान स्वायत्तता, मीडिया पूर्वाग्रह, सरकारी सेंसरशिप और पत्रकारों के उत्पीड़न को दर्शाने वाले स्कोर में व्यवस्थित रूप से गिरावट आई है।
- निरंकुशता (Autocratization) का वर्गीकरण:** वी-डेम रिपोर्ट भारत को "चुनावी निरंकुशता" की एक क्रमिक प्रक्रिया से गुजरने के रूप में वर्गीकृत करती है, जिसकी विशेषता लोकतांत्रिक संस्थाओं का लगातार विघटन है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी (V-Dem) इंस्टीट्यूट:** गोटेनबर्ग स्थित एक शोध संस्थान जो चुनावी, उदार, सहभागी, विचारशील और समतावादी आयामों को मापते हुए लोकतंत्र पर बहुआयामी मात्रात्मक डेटा प्रदान करता है।
- चुनावी लोकतंत्र सूचकांक (EDI):** एक सूचकांक जो यह मापता है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी हैं या नहीं और अभिव्यक्ति और संघ की स्वतंत्रता जैसी संस्थागत गारंटियों द्वारा समर्थित हैं या नहीं।
- चुनावी निरंकुशता (Electoral Autocratization):** एक संरचनात्मक परिवर्तन जिसमें आवधिक चुनावों को बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक मानदंडों और संस्थागत नियंत्रणों को धीरे-धीरे कमजोर किया जाता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- संविधान का अनुच्छेद 324:** मतदाता सूचियों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण तथा चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार एक स्वतंत्र भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का जनादेश देता है।
- संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a):** भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया स्वतंत्रता और अकादमिक स्वायत्तता की नींव स्थापित करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 14 और 15:** कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य के भेदभाव का निषेध करता है, जिससे सार्वभौमिक मतदाता समावेशन सुनिश्चित होता है।
- सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICERD):** भारत द्वारा अनुसमर्थित एक संयुक्त राष्ट्र संधि जो नागरिक, राजनीतिक और मतदान अधिकारों में नस्लीय और जातीय भेदभाव को रोकने के लिए राज्य पक्षों को बाध्य करती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

वी-डेम जैसे अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों की रेटिंग और संयुक्त राष्ट्र निकायों की टिप्पणियां घरेलू संस्थागत स्वास्थ्य के संबंध में वैश्विक चिंताओं को उजागर करती हैं। संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करना, प्रेस और अकादमिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और समावेशी चुनावी सत्यापन प्रक्रिया सुनिश्चित करना भारत की लोकतांत्रिक साख को बनाए रखने के लिए आवश्यक बना हुआ है।

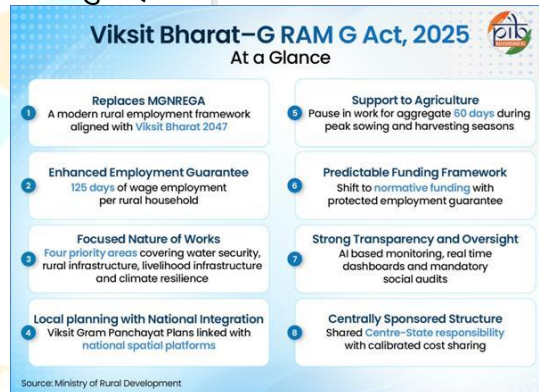
यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II (राज्यव्यवस्था, शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** संवैधानिक निकायों (ECI, न्यायपालिका) की संस्थागत स्वायत्तता, वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांकों, मानवाधिकार संधियों और नागरिक स्वतंत्रताओं के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
- मुख्य परीक्षा अनुप्रयोग:** चुनावी सुधारों, न्यायिक स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता और भारतीय लोकतंत्र की अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं पर प्रश्नों के लिए डेटा बिंदु और संस्थागत समीक्षा प्रदान करता है।

12. मनरेगा से VB-GRAM G अधिनियम में परिवर्तन की संवैधानिक वैधता और आर्थिक प्रभाव

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- सुप्रीम कोर्ट ने 'काम के अधिकार' पर बहस फिर शुरू की:** CJI के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने हाल ही में जांच की कि क्या "काम के अधिकार" को अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के बराबर उठाया जाना चाहिए, जिसने तत्काल मौलिक प्रवर्तन क्षमता और प्रगतिशील आकांक्षी निर्देशों के बीच संविधान सभा की बहसों को फिर से पुनर्जीवित कर दिया है।
- VB-GRAM G अधिनियम में विधायी परिवर्तन:** दिसंबर 2025 में, केंद्र सरकार ने मांग-आधारित मनरेगा (MGNREGA) को विकसित भारत — गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-GRAM G) अधिनियम से बदल दिया, जिसका कार्यान्वयन 1 जुलाई से शुरू हुआ।
- ग्रामीण रोजगार में भारी संकुचन:** पांच साल के औसत की तुलना में जुलाई और अगस्त में ग्रामीण रोजगार सृजन में 68% की गिरावट आई, जो मनरेगा के मांग-आधारित काम के अधिकार के ढांचे को खत्म करने और राज्यों पर उच्च राजकोषीय बोझ डालने के कारण हुआ।
- मजदूरी का गैर-संबद्धीकरण (Delinking) और संवैधानिक संघर्ष:** रोजगार गारंटी मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 से अलग करने से ग्रामीण आय स्थिर हो गई है। बजट आवंटन को सीमित करना और न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना *संजीत रॉय बनाम राजस्थान राज्य (1983)* का उल्लंघन करता है, जिसने अनुच्छेद 23 के तहत न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन को "बलात् श्रम" (forced labor) माना था।
- गैर-वापसी के सिद्धांत (Non-Retrogression) का उल्लंघन:** विद्वानों का तर्क है कि वैधानिक मांग-आधारित गारंटियों को कमजोर करना और VB-GRAM G अधिनियम के तहत क्षेत्रों को गैर-अधिसूचित करने में सक्षम बनाना गैर-वापसी के सिद्धांत (*नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ*) का उल्लंघन करता है, जो राज्य को स्थापित सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को वापस लेने से रोकता है।
- आर्थिक गुणक प्रभाव (Economic Multiplier Effect):** राजकोषीय सीमाओं के तर्क के विपरीत, उच्च ग्रामीण मजदूरी प्रभावी क्रय शक्ति और मानव विकास को बढ़ाती है, जिससे सकारात्मक व्यापक आर्थिक मांग गुणक उत्पन्न होते हैं जो व्यापक आर्थिक विकास का समर्थन करते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- काम का अधिकार (Right to Work):** एक सामाजिक-आर्थिक अवधारणा जहां राज्य काम करने में सक्षम प्रत्येक नागरिक के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी या निर्देशात्मक कर्तव्य निभाता है।

- **गैर-वापसी का सिद्धांत (Doctrine of Non-Retrogression):** एक संवैधानिक सिद्धांत जो यह बताता है कि एक बार जब राज्य अधिकारों या प्रगतिशील विधानों के एक निश्चित स्तर को सुरक्षित कर लेता है, तो वह ऐसे उपायों को लागू नहीं कर सकता है जो उन प्राप्त अधिकारों को कम या समाप्त करते हों।
- **बलात् श्रम (Forced Labor):** मजबूरी या आर्थिक दबाव में कराया गया अनिच्छुक काम, जिसमें अनुच्छेद 23 के तहत मान्यता प्राप्त वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से कम दरों पर भुगतान किया गया रोजगार शामिल है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जिसे न्यायपालिका (*ऑलगा टेलिस बनाम बीएमसी, 1985*) द्वारा आजीविका के अधिकार को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है।
- **संविधान का अनुच्छेद 23:** मानव तस्करी और बेगार (बलात् श्रम) का निषेध करता है, जो न्यूनतम मजदूरी मानकों को लागू करने के लिए कानूनी आधार बनाता है (*संजीत राय मामला*)।
- **अनुच्छेद 41 (DPSP):** अनिवार्य करता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, काम के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।
- **अनुच्छेद 39, 42 और 43 (DPSP):** राज्य को आजीविका के पर्याप्त साधनों, समान काम के लिए समान वेतन, न्यायसंगत और मानवीय कार्य परिस्थितियों और सभी श्रमिकों के लिए एक निर्वाह मजदूरी सुरक्षित करने का निर्देश देते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

मनरेगा से VB-GRAM G अधिनियम में परिवर्तन मांग-आधारित वैधानिक गारंटी से राजकोषीय रूप से सीमित ग्रामीण प्रोग्रामिंग की ओर एक संरचनात्मक बदलाव को उजागर करता है। निर्वाह मजदूरी, सामाजिक अंकेक्षण (social audits) और सशक्त पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े काम के कानूनी अधिकार को बहाल करना ग्रामीण व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करते हुए संवैधानिक नैतिकता को आगे बढ़ाता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** मौलिक अधिकार बनाम DPSP, अनुच्छेद 21/23 की न्यायिक व्याख्या, कल्याणकारी विधानों के विकास और संघीय राजकोषीय संबंधों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
- **जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास):** ग्रामीण रोजगार योजनाओं, मजदूरी नीति, गरीबी उन्मूलन तंत्र और मांग-पक्षीय आर्थिक विकास मॉडल पर प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।

SEPTEMBER 1, 2026

